उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19 सी ,तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001

सूचना/विज्ञप्ति

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (नयी नियमावली से आच्छादित) के मृतक आश्रित के पदों पर भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत दिनांक 05–12–2018 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी की पुर्ननिर्धारित तिथि 24–02–2019 को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्याःपीआरपीबी–एक–1–मृ0आ0(18)/2018 दिनांकःफरवरी 14, 2019

1– सूचित किया जाता है कि बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी–एक–1–मृ0आ0(18)/2018 दिनांकित 24–10–2018 के क्रम में सेवाकाल में दिवंगत कर्मियों के आश्रितों की मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 442 पदों पर भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत दिनांक 05–12–2018 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमानुसार प्रत्यावेदन देने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 01 अनुपस्थित अभ्यर्थी (सूची संलग्न) की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक–24–02–2019 को **35 वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ** में आयोजित की जायेगी

2– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर दिनांक 18–02–2019 से उपलब्ध होगें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगें। इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। पुर्ननिर्धारित नियत तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिये अपील स्वीकार नहीं की जायेगी ।

4– संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेगें।

5– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उपरान्त बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी–एक–1–मृ0आ0(18)/2018 दिनांकित 24–10–2018 के प्रस्तर–4 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार भर्ती के अगले चरण की कार्यवाही की जायेगी ।

14.2.19

अपर सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस(नयी नियमावली से आच्छादित) के अन्तर्गत मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की सूची।

क0 सं0	मृतक आश्रित का नाम	मृत कर्मी का नाम	मृत्यु के समय नियुक्ति का जनपद/इकाई
1	2	3	4
1	लोकेशपाल	हे0कां0 दान सिंह	रामपुर

14.7.19

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ